

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(युप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र / 2 / 2022

जयपुर, दिनांक : 10/05/2023

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्बुध अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है:-

क्र.सं.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवणिट आवास
1.	06 / 2014	श्री हेमन्त शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर	30.11.2052	5-सी-15, बहुमंजिला, गांधीनगर ( जीएडी / 5 / टी-1 / 158, विद्याधर नगर के स्थान पर) प्रथम परिवर्तन के अन्तर्गत
2.	95 / 2017	श्री मनोज कुमार, सहायक अनुभागाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर	30.06.2052	5-सी-21, बहुमंजिला, गांधीनगर ( जीएडी / 5 / टी-1 / 44, विद्याधर नगर के स्थान पर) प्रथम परिवर्तन के अन्तर्गत

शर्तें :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रवत: निरन्तर समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्थायं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निझी आवास बन जाने/क्रय करने की विधि में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—यौंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(म)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असाफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पत्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी सूल विधि में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुद्वेष्य हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निझी आवास निर्वित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मात्र होगी।
- क्रमांक 1 एवं 2 पर अंकित कार्मिकों से कैम्पन सुविधा राशि रूपये 75/- (अक्षरे राशि रूपये पिछहतर मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ हर सहाय मीणा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
- प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (युप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेद साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
- संबंधित कर्मचारियों को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्बलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करावें साथ ही पूर्व आवणिट आवास 7 दिवस में रिक्त कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
- निझी सचिव, शासन सचिव, साप्रि।
- रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Hem Meena  
Designation : Secretary  
Date: 2023.05.10 14:35:08 IST  
Reason: Approved